कार्यालय कलेक्टर जिला–राजनांदगांव एवं पदेन उप सचिव
छत्तीसगढ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ,

अधिसूचना

क्रमांक/6954/ प्र.क. 07 अ–82/2017–18 राजनांदगांव, दिनांक 10/10/ 2019

चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की मोहड़ जलाशय परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है, कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :–

(क) जिला :– राजनांदगांव
(ख) तहसील :– अंबागढ चौकी
(ग) नगर/ग्राम :– आतरगांव
(घ) क्षेत्रफल :– 0.121 हे0

	खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
	412	0.121
योग :–	01	0.121

(2) भूमि का नक्शा(प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मोहला में किया जा सकता है।

(3) उक्त भूमि अर्जन में किसी भी व्यक्ति का विस्थापन निहित नही है।

अथवा

उक्त योजना के लिए अनुमोदित पुनर्वास योजना के अनुसार प्रस्तावित भू–अर्जन से प्रभावित 01 व्यक्तियों का पुर्नवासित किया जाना प्रस्तावित है। पुर्नवास तथा पुनव्यवस्थापन हेतु ग्राम आतरगांव, तहसील अं.चौकी, जिला राजनांदगांव की भूमि ख0 नं0 412 रकबा 0.121 हे0 का चयन किया गया है । पुर्नवास योजना का अवलोकन प्रशासक/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(जय प्रकाश मौर्य)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव ,छत्तीसगढ शासन
राजस्व विभाग ,राजनांदगांव

पृ0 कमांक/6954/ भू–अर्जन/2019 राजनांदगांव, दिनांक 10/10/2019

प्रतिलिपिः–

1. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, राजनांदगांव को आवश्यक कार्यवाही हेतु। कृपया उक्त अधिसूचना/घोषणा का प्रकाशन शासन निर्देशानुसार स्थानीय दो दैनिक समाचार पत्रो में करने तथा प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र की एक–एक प्रति इस कार्यालय में भिजवाने हेतु उक्त अधिसूचना/घोषणा **संचालक (विज्ञापन शाखा) जनसंपर्क संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर** को **ऑनलाईन** भिजवाना सुनिश्चित करें।
2. इसकी एक प्रति – उपनियंत्रक शासकीय क्षेत्रीय प्रकाशन मुद्रणालय तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ राजनांदगांव को छत्तीसगढ राजपत्र भाग – 1 के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।
3. इसकी एक प्रति – **कार्यपालन अभियंता जल संसाधन बैराज संभाग बालोद** को सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु । वे कृपया उक्त अधिसूचना / घोषणा के प्रकाशन के तत्काल बाद संबंधित छत्तीसगढ राज पत्र एवं दो दैनिक समाचार की प्रति **अनुविभागीय अधिकारी एवं भू– अर्जन अधिकारी मोहला** के न्यायालय स्थित भू– अर्जन प्रकरण में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
4. इसकी 10 प्रतियां **तहसीलदार अं0चौकी** को प्रकाशन की तामिली एवं प्रतिवेदन हेतु अग्रेषित।(प्रत्येक स्थान के लिए पृथक पृथक दो प्रतियों का सेट)

कृपया उपरोक्त प्रारूप अधिसूचना/घोषणा में उल्लेखित सरकार के आशय/प्रयोजन से संबंधित ग्राम में मुनादी द्वारा ढोल पिटवाकर मौके के दो गवाहों के सम्मुख निम्न स्थान पर एक प्रति चस्पा करें तथा शेष एक प्रति मय प्रतिवेदन के जारी दिनांक से 30 दिवस के भीतर **अनुविभागीय अधिकारी एवं भू– अर्जन अधिकारी मोहला, जिला राजनांदगांव** के कार्यालय भेजने का कष्ट करें।

1. तहसील कार्यालय **अं0चौकी** का नोटिस बोर्ड।
2. संबंधित थाना **अं0चौकी** का नोटिस बोर्ड।
3. संबंधित ग्राम पंचायत **आतरगांव** के कार्यालय का नोटिस बोर्ड।
4. संबंधित ग्राम **आतरगांव** का आम चौराहा या प्रसिद्ध स्थान ।
5. संबंधित ग्राम **आतरगांव** स्थित प्रश्नगत भूमि का मौका।

(जय प्रकाश मौर्य)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव ,छत्तीसगढ शासन

राजस्व विभाग ,राजनांदगांव